निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 20/2021
दायरा दिनांकः—23.04.2021
निर्णय दिनांकः— 30.5.25

उनवान

1.लक्ष्मीनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र हीरालाल
2. धनराज आयु 43 वर्ष पुत्र हीरालाल
3. पप्पु आयु 40 वर्ष पुत्र हीरालाल
4. महेन्द्र आयु 33 वर्ष पुत्र हीरालाल
5. शान्ति बाई आयु 58 वर्ष पुत्री हीरालाल
6. कैलाश बाई आयु 56 वर्ष पुत्री हीरालाल
7. गीता बाई आयु 54 वर्ष पुत्री हीरालाल
8. ललिता बाई आयु 36 वर्ष पुत्री हीरालाल जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. अध्यक्ष गोपाल गौशाला मनोज राठौर पुत्र केदारलाल राठौर जाति राठौर निवासी छबडा ज़िला बारां (राज0)
2. सचिव गोपाल गौशाला छबडा जिला बारां (राज0)
3. कोषाध्यक्ष गोपाल गौशाला छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री हेमन्त पारीक — प्रार्थी
2. श्री राकेश गालव — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम हनुवतखेड़ा तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 137 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 208 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल दो किता रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त में स्थित चली आ रही है। जिस पर पैत्रिक आराजियात होने से पीढ़ी दर पीढी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण रोजगार एवं भरण—पोषण एवं जीवन यापन हेतु अन्य जगह पर चले गए थे। उक्त आराजी खसरा नंबर 137 रकबा 03

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बीघा 15 बिस्वा में से होकर छबड़ा से धरनावदा रोड़ निकल गया है। उक्त रोड़ के अंदर प्रार्थीगण की भूमि उक्त आराजी में से 01 बीघा 10 बिस्वा जमीन चली गई है। प्रार्थीगण का 05 बिस्वा करीब हिस्सा उत्तर दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम लंबाई में शेष है. 02 बीघा भूमि करीब आराजी रोड़ के दक्षिण दिशा में स्थित है। उक्त आराजी कीमती व बहुमूल्य हो जाने के कारण अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर पहले बाउंड्रीवाल उठा ली और अब जबरन कब्जा करके पक्की दीवार बनाकर कमरे बनाने पर आमादा है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 07.02.2007 को उक्त भूमियात की पैमाइश करवाई थी। जब अप्रार्थीगण को उक्त बाउंड्रीवाल हटाने का आश्वासन दे दिया था। उसके बाद अप्रार्थीगण ने बाउंड्रीवाल नहीं हटाई और दिनांक 01.11.2015 को बाउंड्री के अंदर कमरा उसारा आदि बनाने के आशय से प्रार्थीगण की आराजी में अंदर गड्ढे खोदना प्रारंभ कर दिया तो प्रार्थीगण ने मना किया तो अप्रार्थीगण ने आराजी को छोड़ने से मना कर दिया और गाली–गलौच कर मारपीट करने पर आमादा हुए तथा जबरन जमीन पर कब्जा कर गौशाला के कमरे बनाने की धमकी दी। अधार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा कर गौशाला के कमरे का निर्माण करने की धमकी देने पर प्रार्थीगण द्वारा एक वाद 188, 183 आर०टी०एक्ट व 212 आर०टी०एक्ट का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमें प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 08.03.2017 को स्थगन जारी फरमाया गया था। इसके पश्चात दिनांक 30.06.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा वाद में निर्णय फरमा दिया गया था। जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां पेश की थी। जिसमें भी दिनांक 24.07.2017 को प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी फरमाया गया था तथा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रार्थीगण की अपील को दिनांक 25.01.2019 को स्वीकार फरमाते हुए माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 30.06. 2017 को अपास्त फरमाकर पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली माननीय न्यायालय में रिमांड की गई है। वाद कारण दिनांक २८ को पैदा हुआ, जब अप्रार्थीगण द्वारा वाद में वर्णित भूमि खसरा नंबर 137 वाके ग्राम हनुवतखेड़ा में नीवें खोदकर गौशाला के कमरे बनाने हेतु कार्य प्रारंभ किया, तब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से कार्य करने से मना किया तो अप्रार्थीगण लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हुए तथा कार्य बंद नहीं किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बलपूर्वक प्रार्थीगण की भूमि में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर गौशाला के कमरों का निर्माण करने पर आमादा है। जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2017 को स्थगन आदेश जारी फरमा रखा था। इसके पश्चात माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 24.07.2017 को स्थगन आदेश जारी फरमा रखा था। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में सभी न्यायालय द्वारा पूर्व से स्थगन आदेश जारी था। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण जबरन बलपूर्वक निर्माण करना चाहते हैं। अगर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि जबरन कब्जा कर निर्माण कर लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा प्रार्थीगण अपनी सम्पत्ति के वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 116 पेश की

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

गई। अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल नामान्तरण संख्या 324 ग्राम हनुवतखेडा नकल नामान्तरण संख्या 357 ग्राम हनुवतखेडा नकल नामान्तरण ग्राम हनुवतखेडा नकल नामान्तरण संख्या 440 ग्राम हनुवतखेडा नकल अनापत्ति प्रमाण सरपंच ग्राम पंचायत चाचौडा नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 116 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही है विवादित पैत्रक आराजी है प्रार्थीगण के पास भरण पोषण का इस भूमि के अलावा कोई साधन नही है विवादित भूमि में होकर छबडा–धरनावदा रोड निकला हुआ है उक्त रोड के अन्दर प्रार्थी की भूमि 1.10 बीघा जमीन चली गई है प्रार्थी की 5 बिस्वा भूमि उत्तर की तथा 2 बीघा भूमि रोड के दक्षिण दिशा में स्थित है उक्त भूमि की वसीयत अधिक होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर बाउण्ड्रीवाल बना कर जबरन पक्की दीवार बना कर कमरा बनाने पर आमादा है प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.02.2007 को उक्त भूमि की पैमाईश करवाई थी जब अप्रार्थीगण द्वारा बाउण्ड्रीवाल हटाने का आश्वासन दे दिया था। अप्रार्थी ने बाउण्ड्रीवाल नही हटाई तथा कमरा बनाने के लिए नींव खोद दी तथा पक्का कमरा बना लिया प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश होने के बावजुद अप्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण कर लिया अप्रार्थीगण का कोई कानूनी अधिकार नही था। अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें की मूल वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है विवादित आराजी दिनांक 29.06.1976 को आवटंन होकर गैर खातेदारी में दर्ज हुई थी। आवन्टी द्वारा आवटंन नियमों की पालना नही करने के कारण आवटंन दिनांक 24.05.1989 को राजस्व अभियान केम्प चाचौडा में आवटित भूमि को निरस्त कर दिया जिसका अंकन नामानतरण रजिस्टर ग्राम हनुवतखेडा पर दर्ज है आवंटन दिनांक 24.05.1989 को निरस्त हो जाने के बाद सहवन से खातेदार हीरालाल की मृत्यु के बाद जायज वारिसान के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरण खोल दिया गया जो गैर कानूनी है गोपाल गौशाला कटीखण्डी छबडा ने नाम गोशाला को भूमि जिला कलक्टर महोदय बारां ने आवटंन कर खातेदारी में दी गई जिस पर गौशाला की गाय 25–30 वर्षो से निवास कर रही है विवादित भूमि छबडा–धनरावादा रोड में जा चुकी है प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नही बनाया है गोशाला की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण सरपंच चांचोडा द्वारा करवाया गया है सरपंच चांचौडा को भी पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 116 के अनुसार प्रार्थीगण का नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है नकल नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 24.05.1989 के अनुसार राजस्व केम्प चांचौडा में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आवटी ने आवटंन की शर्तो की पालना नही किया है अतः

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नान्तरण अस्वीकार है नकल नामान्तरण संख्या 357 दिनांक 14.06.1991 से मृतक हीरालाल का फोती नामान्तरण उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया। चुंकि नामान्तरण संख्या 328 खारिज किया गया तथा उसके बाद हीरालाल का फोती नामान्तरण 357 दिनांक 14.06.1991 खोला गया वह स्वीकार किया गया है वर्तमान में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में है। वादी विवादित आराजी में बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में गौशाला के लिए कमरे निर्माण कर जमीन पर कब्जा करना एक अवैध कृत्य की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी द्वारा जिला कलेक्टर महोदय बारां द्वारा गौशाला को उक्त विवादित भूमि आवंटन करने का कथन किया है परन्तु कोई आवंटन पत्र/दस्तावेज पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति में खातेदार कृषक की जमीन पर प्रतिवादी को दखलंदाजी करने का कोई विधिपूर्ण अधिकार नहीं है। चूंकि उभयपक्षकारान के हितो/अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तय किया जाएगा परन्तु वाद बहुलता रोकने एवं मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मूलवाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 137 रकबा 3.15 बीघा में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)